

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

क्र. IPI/5/0008/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स वरुण बेवरेजेज लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया जिला जबलपुर में रु. 210.38 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिन्क एवं फ्रूट जूस निर्माण हेतु नवीन इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP1040162009049) पर शासनादेश दिनांक 12.09.2023 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है-

1. विभागीय आदेश क्र. IPI/5/0008/2023/ए-ग्यारह, दिनांक 12.09.2023 द्वारा परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं को यथावत रखा जाता है।
2. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।
3. यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 01/07/2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

(राघवेंद्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

पृ. क्र. IPI/5/0008/2023 /ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
  2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
  3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
  4. कलेक्टर, जिला- जबलपुर।
  5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
  6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स वरुण बेवरेजेज लि., F-2/7, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi -110020.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग